

राजस्थान सरकार
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं
महिला एवं बाल विकास विभाग
2, जल पथ, गांधी नगर जयपुर

क्रमांक : एफ.1(3)(4)स्था/मंत्रा/डीपीसी/आईसीडीएस/18/

जयपुर, दिनांक : 7-5-18

आदेश


77881

राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम, 1999 एवं संशोधित नियम 2015 तथा 2017 के अन्तर्गत समेकित बाल विकास सेवाएं हेतु गठित विभागीय पदोन्नति समिति की दिनांक 19-04-2018 को सम्पन्न बैठक में की गयी सिफारिश के आधार पर गैर टीएसपी क्षेत्र में कार्यरत निम्नलिखित प्रशासनिक अधिकारियों को चयन वर्ष 2018-19 की रिक्तियों के विरुद्ध संस्थापन अधिकारी के पद पर लेवल पे मैट्रिक्स एल-15 में पदोन्नत किया जाता है :-

वर्ष 2018-19 (गैरटीएसपी क्षेत्र)

क्र.सं.	नाम कार्मिक	वर्ग	विशेष विवरण
1	श्री गोपीलाल चौधरी	सामान्य	-
2	श्री पंकज रस्तोगी	सामान्य	-

पदोन्नत कार्मिकों के पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जावेंगे।


निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान जयपुर


77882-892

क्रमांक : एफ.1(3)(4)स्था/मंत्रा/डीपीसी/आईसीडीएस/18/

जयपुर, दिनांक : 7-5-18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, राज. जयपुर।
4. निदेशालय के समस्त अधिकारीगण
5. उप निदेशक (प्रशिक्षण/विखाका) मुख्यालय जयपुर।
6. उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग बांसवाड़ा।
7. एसीपी, मुख्यालय को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. कार्यालय अधीक्षक, मुख्यालय।
9. सम्बन्धित कार्मिक श्री
10. व्यक्तिगत/आदेश पत्रावली



उप निदेशक (प्रशासन)
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान जयपुर